न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल जाट आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–03/21 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाकः–18.01.2021
निर्णय दिनाकः–07.05.2025

अनवान

1–संगीता पुत्री गटु उर्फ गणेश डेडोर जाति मीणा निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
2–श्रीमती कान्ता पत्नि गटु उर्फ गणेश डेडोर जाति मीणा निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(वादीगण)

बनाम

1–श्री मोहन पुत्र गटु उर्फ गणेश डेडोर जाति मीणा निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
2–अमरी पत्नि स्व0लालु डेडोर जाति मीणा निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
3–कान्ति पुत्र स्व0लालु डेडोर जाति मीणा निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
4–शंकर पुत्र स्व0लालु डेडोर जाति मीणा निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
5–भुमिधारी जरिये तहसीलदार सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – 1 व 2 श्री कपील भट्ट, कल्पेश रावल
वकील प्रतिवादीगण – 1 से 2 एक तरफा एवं 3 से 4 वकील गोविन्द डांगी
5– पैरोकार सरकार

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट एवं धारा 209 रा0टि0एक्ट

– निर्णय –

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवदीगण गॉव वमासा के निवासी होकर एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण नं0 1 के पिता एंव वादीगण नं0 2 के पति गटु उर्फ गणेश डेंडोर स्व0लालु के पुत्र होकर प्रतिवादी अमरी के पुत्र मोहन के पिता कांति व शंकर के सगे भाई है।

यह कि वादीगण नं0 1 के पिता व वादीगण नं0 2 के पति स्व0लालु की कृषि भूमि मौजा वमासा में स्थित है। जिसका खाता संख्या 378/398 जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 है जिसमें खसरा नं01342 रकबा 0.5420 है0किस्म सुखी प्रथम एवं खसरा नं03332/1352 रकबा 0.0242 है0 किस्म सुखी तृतीय स्थित है। स्वर्गीय लालु की मृत्यु के पश्चात उक्त खाते का नामान्तकरण उसकी पत्नि अमरी पुत्र कांति, गटु उर्फ गणेश व शंकर के नाम होता उससे पुर्व गटु उर्फ गणेश की मृत्यु हो गई जिससे राजस्व अधिकारियों ने भुलवंश गटु उर्फ गणेश के उक्त खाते में 1/4 हिस्से का सहखातेदार उसके पुत्र प्रतिवादी नं0 1 मोहन के नाम नामान्तरकरण कर दिया गया है जबकि स्व0गटु उर्फ गणेश के खाते में 1/4 हिस्से में वादीगण संगीता व कान्ता एवं प्रतिवादीगण नं0 1 मोहन के बराबर हिस्सा है और प्रतिवादीगण नं0 1 मोहन के साथ 1/4 हिस्सा में वादीगण संगीता व कान्ता भी बराबर के हिस्सेदार है।

प्रतिवादी नं0 01 मोहन को प्राप्त हिस्सा 1/4 में वादीगण संगीता व कान्ता का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से इन्द्राज करना रह गया है जो वादीगण का नाम प्रतिवादी नं0 1 मोहन के साथ बराबर हिस्से में जोडा जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद में वादीगण द्वारा मौजा वमासा के खाता संख्या 378/398 जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 है जिसमें खसरा नं01342 रकबा 0.5420 है0किस्म सुखी प्रथम एवं खसरा नं03332/1352 रकबा 0.0242 है0 किस्म सुखी तृतीय में वादीगण नं0 1 व 2 का नाम प्रतिवादी नं0 1 के साथ बराबर बराबर हिस्से में जोडा जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाकर सह खातेदार घोषित किया जाने निवेदन किया गया है। वाद विस्तृत विवरण वाद पत्र में अंकित है।

यह कि वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा प्रतिवादीगण नं0 1 से 4 एवं प्रतिवादी नं0 5 भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा को सम्मन जारी किए गये। दिनांक 09.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की तरफ से कोई उपस्थित नही आने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 4 की ओर से वकील गोविंद डांगी ने जवाब मय वकालात नामा पेश किया गया। भूमिधारी ने जवाब हेतु अवसर चाहा गया।

प्रतिवादी नं0 3 से 4 ने वाद पत्र की समस्त कलमों को स्वीकार किया है। तनकी बनाये जाने की आवश्यकता नही होने से तनकी कायम नही की गई है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु रखी गई।

दिनांक 20.04.2022 को वादीया नं0 1 के बयान शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध कराये जाकर दस्तावेज प्रर्दश कराये गये। जमाबन्दी संवत 2074–2077 EX 1 20.04.2022 किया गया। वादी संख्या 2 उपस्थित नही आने से बयान नही लिये गये।

भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सागवाडा रिपोर्ट अनुसार यह है कि **मौजा वमासा के वर्तमान खाता संख्या 378 जमाबन्दी संवत् 2074–77 के अनुसार किता 2 रकबा 0.5662 में खातेदार कान्ति पुत्र लालु हिस्सा 1/4, मोहन पुत्र गटु हिस्सा 1/4 , शंकर पुत्र लालु हिस्सा 1/4 एवं संगीता पुत्री गटु हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान**

जमाबन्दी में संगीता पिता गटु उर्फ गणेश का नाम नामान्तकरण संख्या 2067 दिनांक 26.02.2021 से अमरी पत्नि लालु द्वारा उपहार किये जाने से दर्ज होना बताया गया है। खातेदार लालु के फोत होने पर अमरी पत्नि स्व0लालु, कान्ति पुत्र लालु, गटु पुत्र लालु व शंकर पुत्र लालु दर्ज हुआ। खातेदार गटु फोत होने पर मोहन पुत्र गटु वर्तमान जमाबंदी के अनुसार दर्ज रिकार्ड है।

भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा ने बताया कि गटु उर्फ गणेश डेण्डोर द्वारा दो विवाह किये गये थे जिसकी पहली पत्नि बबु द्वारा पुत्र मोहन डेंडोर है। जिसका वर्तमान जमाबंदी में नाम दर्ज है तथा दुसरी पत्नि कान्ता की एक पुत्री संगीता है। गटु उर्फ गणेश डेण्डोर द्वारा पहली पत्नि जीवित होने व साथ रहने के बावजूद दुसरा विवाह किया गया। गटु द्वारा विवाह किये जाने के बाद पहली पत्नि नाते चली गयी। वादी कान्ता एवं उसकी पुत्री संगीता लगभग 25 वर्ष से मुम्बई में निवासरत है, उनके द्वारा यहॉ राजस्थान में कभी कभार आना बताया है। वादीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार सागवाडा पेश रिपोर्ट अनुसार वादीगण 1 के पिता एवं वादीगण 2 के पति स्व0गटू उर्फ गणेश की मृत्यु से पूर्व पहली पत्नि नाते चली जाना बताया गया तथा दुसरी पत्नि कान्ता एवं पुत्री संगीता का नाम खाते में नही जुडने से आरटीए धारा 136, 209 के तहत वाद पेश किया गया जो कि प्रकरण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चलने योग्य नही है, जबकि विद्ववान अधिवक्ता को विरासती नामान्तकरण में त्रुटी सुधार हेतु नामान्तकरण के विरूद्व अपील की जानी चाहीए थी।

अतः राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 136 में स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में पुर्व की प्रविष्ठीयों में शुद्विकरण न्यायालय द्वारा किया जाकर प्रविष्ठी सुधारी जा सकती है। प्रकरण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चलने योग्य नही होने से प्रार्थी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा